भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1018

दिनांक 22 नवम्बर, 2019 को उत्तर के लिए

वन-स्टॉप सेंटर

1018. सुश्री एस॰ जोतिमणिः

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणेः

डॉ॰ सुजय विखे पाटीलः

डॉ॰ श्रीकांत एकनाथ शिंदेः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या संकटग्रस्त महिलाओं के कल्याण के लिए इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना का संचालन किया गया है और यदि हां, तो वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) 'सखी' योजना शुरू करने के क्या कारण हैं;

(ख) आरम्भ किये गए ओएससी केंद्रों, उन्हें आवंटित, चिन्हित निधि और किये गये वार्षिक आबंटन का केंद्रवार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तिथि-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में 'निर्भया' निधि से ओएससी या 'सखी' केंद्रों के लिए कितनी राशि आबंटित की गई है;

(घ) निजी और सार्वजनिक दोनों जगहों पर, इन केंद्रों में महिलाओं को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या वर्ष 2014 से पहले विद्यमान महिला/बालिका आश्रयगृहों हेतु सरकार की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इन ओएससी केंद्रों में मंत्रालय के दिशा-दिर्नेशों और एसओपी के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है और सरकार द्वारा ओएससी केंद्रों के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी — महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) से (घ) : इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आईजीएमएसवाई) 31 मार्च, 2017 से बंद कर दी गई है। वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) स्कीम में हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक छत के नीचे एक समेकित तरीके से पुलिस सुविधा, चिकित्सा सहायता, मनोवैज्ञानिक-सामाजिक काउंसलिंग, विधिक काउंसलिंग और अस्थायी आश्रय जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती है। अब तक 728 ओएससी को स्वीकृति दी गई है और 595 ओएससी ने कार्य करना आरंभ कर दिया है। अनुमोदित ओएससी, कार्यरत ओएससी और ओएससी को निर्मुक्त राशि का विवरण अनुलग्नक । में दिया गया है।

(ड़) : महिलाओं को शोषण से बचाने और उनके जीवन और पुनर्वास में सहयोग देने की जरूरत को समझते हुए, 1969 में तत्कालीन समाज कल्याण विभाग द्वारा सामाजिक सुरक्षा यंत्र के तौर पर महिलाओं और लड़कियों के लिए अल्पावास गृहों की स्कीम शुरू की गई थी। यह स्कीम पारिवारिक कलह, अपराध, हिंसा, मानसिक तनाव, सामाजिक बहिष्कार या जबरन वैश्यावृत्ति में ढकेली गई और नैतिक खतरे के कारण बेघर हुई महिलाओं और लड़कियों को अस्थायी आवास, निर्वाह और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए है। कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 2001-02 में समान उद्देश्यों वाली एक अन्य स्कीम स्वाधार नाम से शुरू की गई। स्कीम का उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में महिलाओं को आश्रय, भोजन, कपड़े, काउंसलिंग, प्रशिक्षण, चिकित्सा और कानूनी सहायता प्रदान करके उनका पुनर्वास करना है। सेंटर फॉर मार्केट रिसर्च एंड सोशल डेवलपमेंट, नई दिल्ली ने दोनों स्कीमों के कार्य-निष्पादन का आकलन करने के लिए 2007 में एक मूल्यांकन किया। मूल्यांकन रिपोर्ट में काउंसलिंग और पुनर्वास के लिए स्कीमों के तहत अपनाए गए उपायों की प्रभावशीलता और सकारात्मक प्रभाव का उल्लेख करते हुए यह पाया गया कि दोनों ही स्कीमों में निवासियों की प्रोफाइल और श्रेणी, प्रवेश प्रक्रिया, काउंसलिंग सेवा, वोकेशनल प्रशिक्षण, पुनर्वास की गुणवत्ता और अनुवर्ती कार्रवाई लगभग एक जैसी है। अतएव इसने बेहतर कामकाज और कम प्रशासनिक भारों और प्रक्रियाओं वाले परिणाम के लिए इन दोनों स्कीमों के विलय की सिफारिश की। वर्ष 2013-14 में कुल 307 अल्पावास गृह और 311 स्वाधार गृह कार्यरत थे।

(च) : वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और जिलों को ओएससी के लिए दिशा-निर्देश और एसओपी जारी किए गए हैं। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा समय-समय पर वन स्टॉप सेंटर स्कीम से संबंधित जागरूकता सृजन कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

*****

अनुलग्नक-I

'वन-स्टॉप सेंटर' विषय के बारे सुश्री एस॰ जोतिमणि, श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे, डॉ॰ सुजय विखे पाटील और डॉ॰ श्रीकांत एकनाथ शिंदे द्वारा दिनांक 22 नवम्बर, 2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1018 के उत्तर के भाग (क) से (घ) में संदर्भित विवरण

वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के दौरान अनुमोदित ओएससी, परिचालित ओएससी और वर्ष-वार धनराशि जारी करने का राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुमोदित ओएससी की सं.	परिचालित ओएससी की सं.	राज्य-वार निर्मुक्त राशि (रुपये लाख में)		
				2016-17	**2017-18**	**2018-19**
1	अंडमान व निकोबार द्वीप	3	3	0	31,20,663	36,87,641
2	आंध्र प्रदेश	14	13	2,68,97,400	3,30,13,744	3,90,63,148
3	अरुणाचल प्रदेश	25	13	28,41,450	53,19,517	7,82,02,084
4	असम	33	31	75,65,800	0	7,86,95,087
5	बिहार	38	38	1,98,90,150	0	3,08,32,455
6	चंडीगढ़	1	1	0	0	9,30,799
7	छत्तीसगढ़	27	27	7,34,27,815	1,67,04,440	6,62,44,372
8	दादर व नागर हवेली	1	1	0	43,41,482	50,000
9	दमन व दीव	2	1	0	0	0
10	दिल्ली	11	0	0	0	0
11	गोवा	2	1	19,41,450	10,84,917	4,92,000
12	गुजरात	33	27	38,82,900	1,27,15,269	5,62,69,778
13	हरियाणा	22	18	1,16,48,700	38,30,247	4,79,60,546
14	हिमाचल प्रदेश	12	12	0	15,00,450	1,01,18,850
15	जम्मू और कश्मीर	22	8	95,65,800	87,52,272	1,50,20,425
16	झारखंड	24	24	56,82,900	18,47,152	7,04,36,941
17	कर्नाटक	30	30	85,24,350	62,73,675	5,94,44,419
18	केरल	14	5	1,13,65,800	11,80,007	2,83,31,849
19	लक्षद्वीप	1	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	51	51	7,73,47,650	1,31,27,264	11,23,91,390
21	महाराष्ट्र	37	36	2,13,55,950	4,37,69,662	3,89,29,425
22	मणिपुर	16	1	0	0	3,57,22,445
23	मेघालय	11	11	28,41,450	7,75,391	1,86,39,947
24	मिजोरम	8	8	0	61,40,951	2,72,64,535
25	नागालैंड	11	11	55,41,679	80,41,940	4,54,87,024
26	ओडिशा	30	30	15,00,450	1,20,32,854	7,74,59,998
27	पुडुचेरी	4	1	0	19,41,450	47,66,836
28	पंजाब	22	22	97,07,250	3,35,87,668	5,26,33,488
29	राजस्थान	33	21	3,41,23,174	28,95,721	3,08,60,275
30	सिक्किम	4	1	0	30,71,148	39,23,225
31	तमिलनाडु	34	32	0	38,82,900	11,39,95,447
32	तेलंगाना	33	25	1,55,31,600	3,01,72,230	5,89,48,915
33	त्रिपुरा	8	4	0	0	2,69,01,349
34	उत्तर प्रदेश	75	75	4,54,63,200	2,66,22,936	22,28,30,497
35	उत्तराखंड	13	13	58,24,350	1,38,86,307	2,72,25,409
36	पश्चिम बंगाल	23	0	0	0	0
	कुल	**728**	**595**	**40,24,71,268**	**29,96,32,257**	**1,48,37,60,599**

*****